

क्रमांक:प.6(3)राज.-6/2020/138.

राजस्थान राजकार  
राजरच (गुप-6) विभाग

जयपुर, दिनांक: 24/08/2022

### अधिसूचना

राजस्थान भू-राजरच (लवणीय क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के नियम 6 के उप-नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए राज्य राजकार एवं द्वारा नीचे अनुसूची में वर्णित भूमियों के क्षेत्र को, जिसे राजरच (ख) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.2(168)राज/ख/गुप-3/71 दिनांक 15.02.1973 से लवण क्षेत्र घोषित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से लवणीय क्षेत्र से वापिस लेती है:-

### अनुसूची

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा नं.	किरम	क्षेत्रफल	लवणीय क्षेत्र से वापिस लिया जाने वाला क्षेत्रफल
सांभरा	पचपदरा	बाडमेर	304/280	गैर मुमकिन खार	471-09 वीघा	10 एकड़ (25-00 वीघा)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(एम० डॉ रत्नू  
शासन उप सचिव  
24/08/22)

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है:-

- विशिष्ट सहायक, माठ राजरच मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजरच विभाग।
- निजी सचिव, अतिथि मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
- आयुक्त, उद्योग विभाग।
- संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
- जिला कलक्टर, बाडमेर।
- निवंधक, राजरच मण्डल, अजमेर।
- निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अराधारण अंक में दिनांक 24/08/2022 प्रकाशन हेतु प्रेपित।
- निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
- राविरा, राजरच मण्डल, अजमेर।
- समरत संयुक्त शासन सचिव/शासन उप सचिव, राजरच विभाग।
- Analyst Cum Programmer (ACP), राजरच विभाग, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव  
24/08/22